पत्रिका

सीएस की ओर से कोर्ट को बताया गया-आरोपी महिला पर लगाया जुर्माना

नीली बत्ती गाड़ी के बोनट पर केक काटने व चलती कार में स्टंट पर हुई कार्रवाई

बिलासपुर @ पत्रिका. बलरामपुर जिले के पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा सरकारी गाड़ी में अपना बर्थडे मनाने के मामले में मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया कि एफआईआर के बाद चालान प्रस्तुत किया गया है और दोषी महिला पर जुर्माना लगाया गया है। डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित की है।

नीली बत्ती लगी कार के बोनट पर केक काटने और चलती गाड़ी में स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में वायरल हुआ था। कार के बोनट पर बैठी दिख रही महिला की पहचान बलरामपुर-रामानुजगंज की 12वीं बटालियन के डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी के रूप में हुई। सफेद रंग की महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार सीनियर सरकारी अफसरों के लिए आरक्षित है, इसी के चलते उस पर नीली बत्ती लगी थी। डीएसपी की पत्नी इसी सरकारी कार के बोनट पर केक काट रही थी, जबकि अन्य महिलाएं दरवाजों से लटक रही थीं और सनरूफ से बाहर निकल रही थीं।

गांधीनगर के एएसआई ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई। इसके बाद ड्राइवर पर जुर्म दर्ज किया गया। कोर्ट ने ऐसे मामलों को गंभीर मानते हुए मुख्य सचिव को कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। शासन ने कोर्ट को बताया कि, बलरामपुर के मामले में कानूनी कार्रवाई पूरी की गई है।

सड़क जाम कर बर्थडे मनाने पर कोर्ट ने की है कड़ी आपत्ति: उल्लेखनीय है कि इसी साल जनवरी में रायपुर के एक मॉल संचालक द्वारा अपने बेटे का जन्मदिन बीच चौराहे पर केक काटकर मनाने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। इसके बाद कुछ और घटनाएं हुईं जिससे सड़क जाम होने और हंगामे की घटनाएं सामने आईं। कोर्ट ने राजमार्गों, सड़कों, गलियों में जन्मदिन समारोह और उपद्रव रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश शासन को दिए थे।

दोहरे हत्याकांड की आरोपी मां की अपील खारिज, आजीवन कारावास बरकरार

बिलासपुर @ पत्रिका. हाईकोर्ट ने महासमुंद के दोहरे हत्याकांड की आरोपी मां की अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। दो बेटियों की हत्या कर मां ने सुसाइड की कोशिश की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, लेकिन ये सभी सबूत आपस में जुड़कर एक ऐसी कड़ी बनाते हैं, जिससे अपराध सिद्ध होता है। यह है मामला: महासमुंद के लमकेनी निवासी शिक्षक जनकराम साहू ने 20 दिसंबर 2017 को पुलिस को सूचना दी कि उनके किराएदार ईश्वर पांडे की पत्नी और बेटियां घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों लड़कियां मृत मिलीं, और उनकी मां यमुना गंभीर रूप से घायल थी।